

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 75B/2017-18

दुसासन महतो बनाम अशोक कुमार महतो

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

09.10.17

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 523 दिनांक 18.07.17 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 75 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता दुसासन महतो, पिता-स्व० गोपाल महतो, ग्राम-महाराजगंज, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावों ने गृह मरम्मति एवं हल-बैल खरीदने हेतु क्रेता अशोक कुमार महतो, पिता-स्व० रमेश महतो, ग्राम-दुबराजपुर, टोला-तिरिलडीह थाना-राजनगर जिला-सरायकेला-खरसावों को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	खेसरा न०	रकवा
महाराजगंज	182	9	401	4.85डी०

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिता गोपाल महतो के नाम से खतियान में दर्ज है। बिक्रेता अपने हिस्से की अंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक के हिस्से में 3.99.35 एकड़ जमीन है, जिसमें से 4.85 डी० भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.94.50 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही बिक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 4.85 डी० भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
सरायकेला।